CHILD MARRIAGE FREE WORLD

बाल विवाह को समाप्त करने के लिए उत्तरजीवी- समर्थक की घोषणा

हम अफ्रीका और एशिया के विभिन्न देशों से आए हुए उत्तरजीवी- समर्थक हैं, जिन्होंने स्वयं बाल विवाह का दर्द सहा है। हम सब मिलकर उन हज़ारों महिलाओं और बालिकाओं की आवाज़ उठाते हैं, जिनकी कहानियों को अक्सर अनसुना और दबा दिया जाता है।

हमने एक साथ होकर यह तय किया है कि अपने अनुभवों के आधार पर हम बताएं कि बाल विवाह को रोकने और उत्तरजीवियों के लिए मदद और सहयोग का एक मजबूत तरीका कैसे बनाया जा सकता है। यह तरीका हमारे दर्द को समझे और हमें आगे बढ़ने की ताकत दे। अब कोई भी लड़की हमारे जैसी मुश्किलों का सामना न करे। जरूरत बहुत गंभीर है और समाधान हमारे पास हैं। काम करने का समय अभी है।

बाल विवाह रोकने के लिए जरूरी बदलाव, ताकि लड़कियों का भविष्य सुरक्षित और मजबूत हो सके:

हर लड़की को 18 साल की उम्र तक मुफ्त, अच्छी गुणवत्ता वाली, सुरक्षित और आसानी से उपलब्ध शिक्षा का अधिकार मिले।

- ग्रामीण या दूर-दराज़ क्षेत्रों की लड़कियों पर खास ध्यान और निवेश किया जाना चाहिए, और उन लड़कियों के लिए विशेष कार्यक्रम चलाए जाएँ जो स्कूल छोड़ चुकी हैं, ताकि वे फिर से पढ़ाई कर सकें।
- शिक्षा में व्यावसायिक प्रशिक्षण, आर्थिक और जीवन कौशल के साथ-साथ उम्र के अनुसार यौन और प्रजनन स्वास्थ्य शिक्षा भी शामिल होनी चाहिए, ताकि लड़कियाँ सही निर्णय ले सकें और अपने शरीर का अधिकार सुरक्षित रख सकें।
- लड़कियों के लिए डिजिटल और भौतिक अंतर को कम करने के प्रयास किए जाने चाहिए, ताकि उन्हें सुरक्षित जगह मिले जहाँ वे सीख सकें, जुड़ सकें और अपने विचार साझा कर सकें।

समुदायों को बाल विवाह रोकने और गलत लैंगिक मान्यताओं को चुनौती देने में सक्रिय रूप से शामिल होने के लिए मजबूत बनाया जाना चाहिए:

- स्थानीय समूहों, संगठनों और सक्रियकर्ताओं के साथ मिलकर काम करना चाहिए, जो अपने समुदाय को अच्छी तरह जानते हैं, ताकि वे स्कूल, मंदिर और स्थानीय सभाओं में जागरूकता फैलाएँ और बच्चों और बड़ों दोनों तक संदेश पहुँचाएँ।
- बालिकाओं के अधिकारों, लिंग-आधारित रूढ़ियों और हानिकारक दहेज प्रथा को खत्म करने के लिए बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान चलाए जाने चाहिए। इन्हें संगीत, नाटक, रोडशो या पोस्टर जैसे सरल और आकर्षक तरीकों से प्रस्तुत किया जाए, और इनमें समुदाय के नेता, धार्मिक व पारंपरिक नेता, साथ ही लड़के और पुरुष सहयोगी के रूप में शामिल हों।
- लड़कियों को अपने जीवन से जुड़े फैसलों में खुद शामिल किया जाना चाहिए, जैसे क्लब, फोरम या युवा परिषद के माध्यम से, ताकि वे बदलाव की सक्रिय हिस्सेदार बन सकें।

बालिकाओं और बालकों दोनों के लिए विवाह की कानूनी आयु 18 साल तय करने वाले कानून बनाए जाएँ और उनका सख्ती से पालन किया जाए, बिना किसी अपवाद के:

- सरकार को स्थानीय अधिकारियों, पुलिस और न्यायाधीशों को प्रशिक्षण देने में निवेश करना चाहिए, ताकि ये कानून लगातार और संवेदनशील ढंग से लागू हों। साथ ही, बाल विवाह की शिकायत करने के लिए आसान, गोपनीय और बच्चों के अनुकूल व्यवस्था हो, जिससे किसी तरह का प्रतिशोध न हो।
- बालिकाओं के खिलाफ अन्य प्रकार की हिंसा, जैसे यौन और लिंग-आधारित हिंसा, के खिलाफ कानूनों को मजबूत किया जाए और उनका सख्ती से पालन किया जाए।
- विभिन्न पक्षकारों, खासकर माता-पिता में कानून और उसके परिणामों के बारे में जागरूकता बढ़ाई जानी चाहिए।

कमजोर परिवारों पर आर्थिक दबाव घटाने और बाल विवाह रोकने के लिए चरम गरीबी को खत्म किया जाना चाहिए।

- हाशिए पर रहने वाले परिवारों के लिए विशेष आर्थिक मदद दी जानी चाहिए, जैसे कि लड़कियों के स्कूल जाने पर शर्तीय नकद सहायता।

बाल विवाह के उत्तरजीवियों के लिए जरूरी बदलाव और सहायता व्यवस्था, जो उन्हें उपचार और अपने जीवन को फिर से सँवारने में मदद करें:

उत्तरजीवियों को कलंक और भेदभाव से मुक्त होकर समुदाय, पढ़ाई और/या रोजगार में लौटने के लिए सक्रिय सहयोग दिया जाना चाहिए।

- उत्तरजीवियों को पढ़ाई जारी रखने, अपने लक्ष्य फिर से तय करने और आर्थिक स्वतंत्रता पाने में मदद के लिए छात्रवृत्ति, शुरुआती फंड, उद्यमिता अनुदान और नौकरी लगाने वाले कार्यक्रम जैसी वित्तीय मदद दी जानी चाहिए।
- स्कूलों और कार्यस्थलों में एंटी-बुलिंग, पेशेवर पुन:समावेशन और बहिष्कार या कलंक से बचाने वाले कार्यक्रम चलाए जाएँ, और समुदाय यह सुनिश्चित करें कि उत्तरजीवियों के साथ गरिमा से व्यवहार हो।
- उत्तरजीवियों के लिए दूसरी मौके वाली पढ़ाई, व्यावसायिक प्रशिक्षण और आय-सृजन गतिविधियाँ खास तौर पर बनाई जानी चाहिए, जैसे लचीले समय और युवा माताओं के लिए बच्चे की देखभाल की सुविधा।

उत्तरजीवियों को अपनी भावनात्मक घावों को ठीक करने के लिए नि:शुल्क, सतत, सुरक्षित और गोपनीय स्वास्थ्य एवं मनो-सामाजिक सहायता तक पहुँच सुनिश्चित होनी चाहिए।

- लंबे समय तक चलने वाली परामर्श और अन्य मानसिक स्वास्थ्य सेवाएँ, जैसे सहकर्मी-नेतृत्व वाले समर्थन समूह, मुफ्त या सस्ती होनी चाहिए और ऐसे पेशेवरों द्वारा दी जानी चाहिए जो आघात और लिंग-आधारित हिंसा में प्रशिक्षित हों।
- सभी सेवा प्रदाताओं—डॉक्टर, शिक्षक, पुलिस और सामाजिक कार्यकर्ता—को प्रशिक्षण देना चाहिए ताकि वे आघात के लक्षण पहचान सकें, सहानुभूतिपूर्वक प्रतिक्रिया करें और उत्तरजीवियों को फिर से आघात से बचाएँ।
- उत्तरजीवियों को यौन और प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं तक निष्पक्ष और बिना किसी निर्णय के पहुंच सुनिश्चित की जानी चाहिए, जिसमें वे भी शामिल हैं जिन्होंने किशोरावस्था में गर्भधारण या प्रसव का अनुभव किया हो।

उत्तरजीवियों को न्याय तक पहुँच के लिए मुफ्त कानूनी मदद और अन्य आवश्यक सहायता दी जानी चाहिए।

- कानूनी मदद को बाल विवाह के सभी परिणामों को सुधारने के लिए बढ़ाया जाना चाहिए, जैसे विवाह रद्द करना, तलाक और अभिभावकत्व के मामले।
- सभी कानूनी प्रक्रियाओं में उत्तरजीवियों और गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए।

उत्तरजीवियों द्वारा चलाए जाने वाले समर्थन और वकालत कार्यक्रमों को पूरी तरह से फंड और संस्थागत समर्थन दिया जाना चाहिए।

- सामुदायिक समर्थन नेटवर्क महत्वपूर्ण समझ, एकजुटता और साझा ताकत प्रदान करते हैं, जो लंबे समय तक असर डालने के लिए जरूरी हैं, और इसमें महिला नेता, सहकर्मी और प्रशिक्षित मेंटर्स शामिल होने चाहिए।
- उत्तरजीवियों के लिए बाल विवाह के खिलाफ वकालत करने और अपने अनुभव साझा करने के मंच बनाए जाने चाहिए; उनकी आवाज़ मजबूत है और उसे सुनना जरूरी है।

हम सभी स्तरों के निर्णयकर्ताओं से अनुरोध करते हैं कि वे हमारी सिफारिशों को गंभीरता से सुनें। हर बाल विवाहिता सिर्फ एक बच्ची नहीं है जिसे बचपन, शिक्षा और भविष्य से वंचित किया गया, बल्कि वह अपने परिवार, देश और पूरे विश्व के लिए खोई हुई संभावनाओं का प्रतीक भी है।

द्वारा हस्ताक्षरित:

ए. एम., ज़िम्बाब्वे
अहुमुज़ा मार्था, युगांडा
भूमि, भारत
डोरीन मुगाबीर्वे, युगांडा
ग्लोडी मिकोह, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य
ग्रेस नलुम्ब्वे, ज़ाम्बिया
कुमाह नाओमी एलोर्म, घाना
मरियातु कोरोमा, सिएरा लियोन
निशा डी, भारत
निशा आर, भारत
न्जव्वा नकाम्बा, ज़ाम्बिया
रबीना रिसिदेव, नेपाल
रामी कुमारी राम, नेपाल
रुकमन, भारत
रुविम्बो टोपोड्ज़ी, ज़ाम्बिया
सालरिका मैरी कॉन्टेह, सिएरा लियोन
सामन्था चिडोडो, ज़िम्बाब्वे
सुजना, भारत

CHILD MARRIAGE FREE WORLD